न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : ...32../2019

अनवान

कृष्णकुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी नुआं तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। – वादी

बनाम

1 पृथ्वीराज पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी नुआं तहसील भादरा।
2 ओमप्रकाश पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी नुआं तह0 भादरा।
3 मनोहरलाल पुत्र पृथ्वीराज जाट निवासी नुआं तहसील भादरा।
4 गुडडी पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी नुआं तहसील भादरा।
5 कविता पुत्री पृथ्वीराज जाट निवासी नुआं तहसील भादरा।
6 सरोज पुत्री पृथ्वीराज जाट निवासी नुआं तहसील भादरा।
7 चन्द्रावली पुत्री पृथ्वीराज जाट निवासी नुआं तहसील भादरा।
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
9 आरएमजीबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : श्री मुन्शीराम गोस्वामी एडवोकेट : वादी
श्री विक्रम शर्मा एड. प्रतिवादीगण

निर्णय दिनाक : 11-3-2020

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा नुआं के खाता सं0 115/101 के खसरा सं0 115/2 की 3.895 हैक्टेयर खसरा सं0 131 की 4.881 हैक्टेयर खसरा सं0 334 की 2.567 हैक्टैयर खसरा सं0 429 /2 की 3.263 हैक्टेयर कु[illegible] 4 की 14.606 हैक्टेयर बारानी खातेदारी प्रतिवादी पृथ्वीराज के [illegible] खातेदारी दर्ज है। वादी एंव प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:42:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

एंव हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा श्रीराम की खातेदारी हुआ करती थी। जिसमे वादी का भी प्रतिवादीगण के साथ वादभूमि मे जन्म से हक अधिकार है जिसमे वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 प्रत्येक का 1/8 – 1/8 हिस्सा बनता है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी पृथ्वीराज के नाम महज कर्ता खानदान के दर्ज चली आ रही है। जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पडता है। इसलिये वादभूमि मे वादी के अधिकारों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने अपनी तरफ से जवाबदावा पेश किया एंव प्रतिवादीगण ने वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना स्वीकार करते हुये वादभूमि मे वादी एंव प्रतिवादीगण का जन्म से हक अधिकार होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी सं0 8 स्टेट ने भी अपना जवाबदावा पेश किया तथा प्रतिवादी सं0 9 बैंक को वकील वादी ने तर्क कर दिया है। वादीगण के दावा का प्रतिवादी पक्ष की तरफ से कोई खण्डन पेश नही किया। जिससे पत्रावली मे कोई विवाधक बनने नही पाये गये।

साक्ष्य वादी मे पी डब्लु – 1 कृष्णकुमार के बयान करवाये गये एंव दस्तावेजी साक्ष्य मे वादभूमि की वर्तमान जमाबन्दीहाल प्रदर्श – 1 एंव दादालाई पैत्रक कृषि भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2019 प्रदर्श – 2 व ग्राम पंचायत द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र को प्रदर्शित करवाया। साक्ष्य वादी समाप्त करने के उपरान्त बहस वकील वादी एंव प्रतिवादीगण सुनी गई।

दोराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमे वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1ता 7 का जन्म से हक अधिकार है। वादी के दावा का प्रतिवादी पक्ष के द्वारा कोई खण्डन पेश नहीं किया गया है एंव वाद वादी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। इसलिये वाद वादी डिकी किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:42:59 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली मे पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे वादभूमि जो प्रतिवादी सं0 1

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

कृष्णकुमार बनाम पृथ्वीराज आदि

के नाम से दर्ज है वह उसे अपने पिता से विरासतन मे मिली होना साबित है तथा पत्रावली मे पेश सदस्य प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिवादी पृथ्वीराज के वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 2 ता 7 ही पुत्र पुत्री है तथा इनके अलावा अन्य कोई पुत्र पुत्री नही है। जिस पर कुल वादभूमि आठ भागों मे आई है। इस प्रकार वादी अपने दावा को साबित करने मे सफल रहा है।

अत : वाद वादी डिक्री किया जाकर यह घोषणा की जाती है कि रोही नुआं के खाता सं0 115/101 के खसरा सं0 115/2 की 3.895 हैक्टेयर खसरा सं0 131 की 4.881 हैक्टेयर खसरा सं0 334 की 2.567 हैक्टैयर खसरा सं0 429 /2 की 3.263 हैक्टेयर कुल किता 4 की 14.606 हैक्टेयर बारानी खातेदारी जो प्रतिवादी पृथ्वीराज के नाम से खातेदारी दर्ज है, उसमे वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 संयुक्त रूप से 3/8 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण सं0 4 ता 7 ने वादभूमि मे अपना जो हिस्सा था वह लेने से इनकार किया है एंव अपने पिता प्रतिवादी पृथ्वीराज के नाम ही रखे जाने का कथन किया है जिसके चलते प्रतिवादी पृथ्वीराज उक्त वादभूमि मे 5/8 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण सं0 4 ता 7 ने वादभूमि मे अपना हक हिस्सा अपने पिता प्रतिवादी पृथ्वीराज के पक्ष मे त्याग किया है, इसलिये त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयुटी अदा करने व यदि वादभूमि किसी बैंक आदि के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादभूमि जो प्रतिवादी पृथ्वीराज के नाम से दर्ज है, उसमे से 3/8 हिस्सा संयुक्त रूप से वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के नाम व शेष 5/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी पृथ्वीराज के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 11-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मुहर: सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़))

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:42:59 IST
Reason: SelfAttested

आर ए एस

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 32 / 2019

अनवान

कृष्णकुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी नुआं तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1 पृथ्वीराज पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी नुआं तहसील भादरा।
2 ओमप्रकाश पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी नुआं तह0 भादरा।
3 मनोहरलाल पुत्र पृथ्वीराज जाट निवासी नुआं तहसील भादरा।
4 गुडडी पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी नुआं तहसील भादरा।
5 कविता पुत्री पृथ्वीराज जाट निवासी नुआं तहसील भादरा।
6 सरोज पुत्री पृथ्वीराज जाट निवासी नुआं तहसील भादरा।
7 चन्द्रावली पुत्री पृथ्वीराज जाट निवासी नुआं तहसील भादरा।
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
9 आरएमजीबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एंव वकील प्रतिवादीगण श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा यह घोषणा की जाती है कि रोही मोजा नुआं के खाता सं0 115/101 के खसरा सं0 115/2 की 3.895 हैक्टेयर खसरा सं0 131 की 4.881 हैक्टेयर खसरा सं0 334 की 2.567 हैक्टैयर खसरा सं0 429 /2 की 3.263 हैक्टेयर कुल किता 4 की 14.606 हैक्टेयर बारानी खातेदारी जो प्रतिवादी पृथ्वीराज के नाम से खातेदारी [illegible] इसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 संयुक्त रूप से 3/8 हिस्सा [illegible] पृथ्वीराज शेष 5/8 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है। [illegible]कि प्रतिवादी सं0 4 ता 7

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:42:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कृष्णकुमार बनाम पृथ्वीराज आदि

ने वादभूमि मे अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे त्याग दिया है, इसलिये त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयुटी अदा करने व यदि वादभूमि किसी बैंक आदि के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादभूमि जो प्रतिवादी पृथ्वीराज के नाम से खातेदारी दर्ज है, उसे वादी एंव प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम संयुक्त रूप से 3/8 हिस्सा एंव शेष 5/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी पृथ्वीसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनाक 11-3-202 .... को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
(मुकेश बारेठ)
(फास्ट ट्रेक)भादरा
आर ए एस
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:42:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner